रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1447] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2011/श्रावण 4, 1933
No. 1447] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2011/SRAVANA 4, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

का.आ. 1734(अ).—स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय न्यास मण्डल का पुनर्गठन करती है और इस प्रयोजन के लिए, इस मंत्रालय की दिनांक 18-1-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 165(अ) और दिनांक 14-8-2008 की अधिसूचना में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उपर्युक्त अधिसूचनाओं के क्रम संख्या 2 से 8 और 10 तथा उनकी प्रविष्टियों के संबंध में निम्नांकित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"2.	श्री आर. वेणुगोपालन, आश्रय, कोल्लम, केरल	स्वयंसेवी संगठन-मानसिक मंदता
3.	श्रीमती जयश्री रमेश, एकेडेमी फार द सिवियरली हेण्डीकेप्ड एण्ड ओटिस्टिक पर्सन्स चेरीटेबल ट्रस्ट, बंगलुरु, कर्नाटक	स्वयंसेवी संगठन-स्वपरायणता
4.	डॉ. नीलम सोढ़ी, द नार्थ इण्डिया सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन (आशीर्वाद), लुधियाना, पंजाब	स्वयं सेवी संगठन-प्रमस्तिष्क अंगघात
5.	श्री गोरी शंकर गुप्ता, कर्नाटक पेरेन्टस एसो-सिएशन फार एमआर सिटिजंस, बंगलुरु, कर्नाटक	विकलांगजन अभिभावक परिसंघ-मानसिक मंदता
6.	श्री अजिन कुमार सेन, उत्तरपाड़ा आश्रय-अभिभावक संगठन, हुगली, पश्चिम बंगाल	विकलांगजन अभिभावक परिसंघ-स्वपरायणता
7.	श्री अनिल उपेन्द्र जोशी, स्वीकार एसोसिएशन ऑफ पेरेन्टस ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, नागपुर, महाराष्ट्र	विकलांगजन अभिभावक परिसंघ-बहुविकलांगता
8.	श्री ए. धनशेखर, एकता, चेन्नई	विकलांगजन परिसंघ-प्रमस्तिष्क अंगघात
10.	श्री किशोर मोहन भट्टाचार्य, मुणालिनी ज्योति रिहेबिलिटेशन सेन्टर, डिब्रुगढ़, असम	विकलांगजन अभिभावक परिसंघ-बहुविकलांगता"

3. उपर्युक्त सभी सदस्य तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने तक, जो भी बाद में हो, मण्डल के सदस्य के रूप में पदासीन रहेंगे बशर्ते कि इनमें से कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सदस्य के पद पर नहीं बना रहेगा ।

[फा. सं. 1-7/2010-डीडी-IV]

पंकज जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 सितम्बर, 2000 के सं. का.आ. 881(अ) तथा दिनांक 9-12-2003 सं. का.आ. 1421(अ), दिनांक 1-7-2004 के सं. का.आ. (773), दिनांक 14-3-2005 के सं. का.आ. 317(अ), दिनांक 28-4-2005 के सं. का.आ. 598(अ), दिनांक 18-1-2007 के सं. का.आ. 165(अ) की बाद की अधिसूचनाओं और दिनांक 14-8-2008 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित की गई ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2011

S.O. 734(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby reconstitute the Board of National Trust and for that purpose makes the following amendments to this Ministry's notification number S.O. 165(E), dated 18th January, 2007 and notification dated 14th August, 2008 namely :—

2. In respect of serial numbers 2 to 8 and 10 of the said notifications and the entries thereto the following serial numbers and entries will be substituted, namely :—

"2. Mr. R. Venugopalan, Ashraya, Kollam, Kerala	Voluntary Organizations - Mental Retardation
3. Mrs. Jayashree Ramesh, Academy for the Severely Handicapped & Autistic Persons Charitable Trust, Bangalore, Karnataka	Voluntary Organizations - Autism
4. Dr. Neelam Sodhi, The North India Cerebral Palsy Association (Ashirwad), Ludhiana, Punjab	Voluntary Organizations - Cerebral Palsy
5. Mr. Gauri Shankar Gupta, Karnataka Parents Association for MR Citizens, Bangalore, Karnataka	Association of Parents of PWD Mental Retardation
6. Mr. Ajin Kumar Sen, Uttarapara Ashraya - Parents Organization, Hooghly, West Bengal	Association of Parents of PWD - Autism
7. Mr. Anil Upendra Joshi, Sweekar Association of Parents of Mentally Retarded Children, Nagpur, Maharashtra	Association of Parents of PWD - Multiple Disabilities
8. Mr. A. Dhanasekar, EKTA, Chennai	Association of Persons with Disabilities - Cerebral Palsy
10. Mr. Kishore Mohan Bhattacharya, Miranalijyoti Rehabilitation Centre, Dibrugarh, Assam	Association of Persons with Disabilities - Multiple Disabilities

3. All the above named Members shall hold of ffice of the Board with immediate effect for a period of three years or till their successors, are appointed whichever is longer, provided that none of them shall hold office as Member after he/she has attained the age of sixty-five years.

[F. No. 1-7/2010-DD-IV]

PANKAJ JOSHI, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 881(E), dated 22nd September, 2000 and subsequent notifications were also published *vide* number S.O. 1421(E), dated 9-12-2003, S.O. (773), dated 1-7-2004, S.O. 317(E), dated 14-3-2005, S.O. 598(E), dated 28-4-2005, S.O. 165(E), dated 18-1-2007 and notification dated 14-8-2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.